

कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भप्रआ/एसटीआई/प्रशिक्षण/8/19-20/ 121

दिनांक:- 28/5/2019

प्रशिक्षण कार्यशाला

भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे सर्वे/री-सर्वे के अन्तर्गत सैम्पल विलेज के कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 30/05/2019 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नहरू मार्ग जयपुर के सभागार में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्यशाला में भूप्रबन्ध अधिकारी, एक सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सदरमुन्सरिम/ एक निरीक्षक/भूमापक तथा मुख्यालय से दिनांक 2-3 एवं 9-10 मई 2019 को फील्ड में सर्वे/री-सर्वे के पर्यवेक्षण हेतु गये अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सर्वे/री-सर्वे कार्य सम्पादित कर रहे वेण्डर्स के एक-एक प्रतिनिधि जिलेवार भी उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	समय
1.	उद्घाटन सत्र	10:00 बजे से 10:30 तक
2.	सर्वे रिसर्वे पर प्रस्तुतीकरण (राजसमन्द एवं चूरु)	10:30 बजे से 1:00 तक
3.	दोपहर भोजन	1:00 बजे से 2:00 तक
4.	खुला सत्र	2:00 बजे से 4:15 तक
5.	चाय नाश्ता	4:15 बजे से 4:30 तक
6.	समापन सत्र	4:30 बजे से 05:00 तक

del
21/5/19
(महेन्द्र कुमार पारख)
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 122-153

दिनांक- 28/5/2019

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सहायक, अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 4- भूप्रबन्ध अधिकारी समस्त।
- 5- सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी/मुख्यावास/डीआईएलआरएमपी राजस्थान, जयपुर।
- 6- ए.सी.पी./प्रोग्रामर/सदरमुन्सरिम/प्रभारी वर्कस्टेशन मुख्यावास जयपुर।
- 7- सर्वे/री-सर्वे के वेण्डर्स.....
- 8- प्रभारी आरबास/डीआईएलआरएमपी सेन्टर सेल (एस.टी.आई.) मुख्य कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि कार्याशाला हेतु समुचित व्यवस्था करावें।
- 9- सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी (स्टोर) को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करावें।
- 10- डॉ. अखिल कुमार जांगिड वरिष्ठ सहायक, श्री राहुल मीणा सूचना सहायक एवं श्री विवेक दीक्षित कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यशाला में नियत समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावें।
- 11- कार्यालय अधीक्षक, मुख्य कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि कार्यशाला में व्यवस्था हेतु चार सहायक कर्मचारियों को उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें।

del
21/5/19
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर